

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन. पी.वी. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन.पी.वी. देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - क्लास श्रेणी----- V
- 2.हरियाली का घनत्व ----- 0.20
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है.----- 657000=0
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल----- 0.755 hae
- 5.कुल देय एन.पी.वी. की धनराशी----- 4,96,035=0

उपप्रभागीय वन अधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
प्रभागीय वन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन. पी.वी. की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)